







पालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

37/2019

तारीखरजः- 15/5/19

उनवानः- श्रीकिशन बनाम कम्पूरी बगै0

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट

फर्द अहकाम	
	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 17/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> <p style="text-align: right; font-size: small;">143940 15/5/19</p>
17.5.19	<p>बार की ओर से वार्चर स्वयंसेवक रखा गया है प्रतिवादी नं.2 उप0) आइन्दा दिनांक 21.6.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
21.6.19	<p>वादी वकील उप0) प्रतिवादीगण अवजुद सूचना उपस्थित नहीं है। इनके चिरुड एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वादी साक्ष्य पेश कले दिनांक 17.7.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
17.7.19	<p>वकुलाय स्थित/पीठसन अधिकारी 37वकाश पर पदोरे है। अतः पत्रावली गताधुसार दिनांक 8.8.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
8.8.19	<p>वादी वकील उप0) वादी साक्ष्य पेश कले दिनांक 6.9.19 को पेश हो।</p>
6.9.19	<p>वकुलाय स्थित/पीठसन अधिकारी दौरे पर पदोरे है। अतः पत्रावली गताधुसार दिनांक 4.10.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>
6.10.19	<p>वादी वकील उप0) वादी साक्ष्य पेश कले समय-वाहा। समय दिया गया। वादी साक्ष्य पेश कले दिनांक 6.11.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>

उजवान - श्री किरान 1/5 करौली 27/18

ग्रालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

28.10.20

पत्रावली पेश हुई | वादी वकील

उपस्थित नहीं है। कई बार कक - कक आवाज
दिलवाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादी
में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह
दावा बाबत स्थायी निवेदाश अदम हाजिरी एवं
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्राव
फैसल शुमार लेकर नगब से कम लेकर दाखिल
दफतर है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली